अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION
सचिवालय / SECRETARIAT

हज समिति, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लिए नामांकन आमंत्रण सूचना

हज समिति नियमावली, 2002 के नियम 20 के उप नियम (1) के साथ पठित हज समिति अधिनियम, 2002 की धारा 2 की उप धारा(i) के अनुसारण में अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों के लिए **"अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य हज समिति"** के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया गया है।

हज समिति नियमावली, 2002 की धारा 20 की उप धारा (1) और (2) के अनुसार किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए हज समिति के सदस्यों के नामांकन के तरीके निम्नलिखित हैं।

(1) संबंधित सरकार द्वारा संघराज्य क्षेत्र के लिए हज समिति के नामित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या, कार्यकारी अधिकारियों, जो इस समिति के पदेन अधिकारी भी होंगे, को मिला कर **सात होंगे।**

(2) संबंधित सरकार द्वारा व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों में से सदस्यों (कार्यकारी अधिकारी को छोड़कर)को नामित किया जाएगा अर्थातः–

क) संघ राज्य क्षेत्र का एक मुस्लिम संसद सदस्य, यदि उपलब्ध हो;

ख) संघराज्य क्षेत्र के विधान सभा, यदि हो, के दो मुस्लिम सदस्य, यदि उपलब्ध हो;

ग) संघराज्य क्षेत्र के स्थानीय निकाय का प्रतिनित्व करने वाला एक मुस्लिम सदस्य, यदि उपलब्ध हो;

घ) मुस्लिम अध्यत्मज्ञान और विधि की विशेषज्ञता रखने वाला एक मुस्लिम सदस्य;

ड.) लोक प्रशासन, वित्त, शिक्षा, सामाजिक कार्य या संस्कृति के क्षेत्र में कार्यरत मुस्लिम स्वैच्छिक संगठन में से एक मुस्लिम सदस्य।

बशर्ते कि किसी संघराज्य क्षेत्र में यदि विधान सभा नहीं है तो संबंधित सरकार को यह विवेकाधिकार होगा कि उपरोक्त किसी अन्य श्रेणियों से दो सदस्यों को नामित किया जाए।

उपरोक्त तरीके से प्रायोजित नाम(ों) पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गठित जाँच समिति द्वारा विधिवत रूप से विचार किया जाएगा और चुने गए नामों की सूची को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा।

प्रस्तावित "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह राज्य हज समिति" के लिए इन द्वीपों में स्थायी रूप से निवास करने वाले योग्य और इच्छुक मुस्लिम लोगों से निम्नलिखित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है। सभी प्रकार से विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 20.04.2018 तक या उससे पहले सहायक सचिव(राजस्व), अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, सचिवालय के पास पहँच जाने चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जाएगा।

सहायक सचिव(राजस्व)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह हज समिति हेतु नामांकन के लिए आवेदन

3.5X3.5 से.मी.
आकार का
अपना नवीनतम
रंगीन फोटोग्राफ
चिपकाएँ

नाम	
पिता का नाम	
माता का नाम	
लिंग	पुरूष [ ] महिला [ ]
जन्म तिथिा एवं आयु	[ ] [ ]
शैक्षिक योग्यता	
व्यवसाय	
अनुभव	
अ. तथा नि. द्वीपसमूह में कब से निवास कर रहे हैं।	
योग्यता श्रेणी (क)/(ख)/(ग)/(घ)/(ड.)	
आवासीय पता	
कार्यालय पता	
पत्राचार के लिए पता	
सम्पर्क संख्या	
हज किया गया	हाँ/नहीं [ ] यदि हाँ, कब [ ]
अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

स्थानः

दिनांकः

आवेदक का हस्ताक्षर